


शयोदान बनाम गुलझारी वगै०  
मु०नं० 235/2016  
प्रार्थना पत्र अ०घा० 212 आरटीए

दिनांक -12.11.2020 वकील वादी उपस्थित। मूल दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहें।

  
उपखण्ड, अधिकारी (अभिलेख) सूरजगढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़

